[2019] 6 एस. सी. आर 382

एल. आर. एस. द्वारा गोपलकृष्ण (डी)। & ओआरएस।

वी.

नारायणगौड़ा (मृत) एल. आर. एस. द्वारा & ओआरएस।

(2008 की सिविल अपील No.1332)

अप्रैल 03,2019

[अशोक भूषण और के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

मैसूर हिंदू विधि महिला अधिकार अधिनियम, 1933। 4,10 और 11 सीमा अधिनियम, 1908-कला। 140 , 141 और एस। 28 - – याचिकाकर्ता

मामला कि एक 'आर' अनुसूचित संपत्तियों का मालिक था-उनका 1907 में निधन हो गया-उनकी दो पत्नियां थीं 'जे' और 'एस'-उनकी पहली पत्नी से पत्नी 'जे', उनकी एक बेटी 'वी' थी और 'वी' की एक बेटी 'जे. के.' थी-उनकी पहली पत्नी की उनसे पहले मृत्यु हो गई थी और बेटी 'वी' की मृत्यु 1910 में हुई थी-उनकी दूसरी पत्नी 'एस' की मृत्यु 1938 में हुई थी-अपीलकर्ताओं ने वर्ष 1955 में 'जे. के.' द्वारा निष्पादित बिक्री विलेखों के आधार पर संपत्तियों के अधिकार का दावा किया था।

दूसरी ओर, उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि उनके पास था

उक्त संपत्ति एक 'एस. आर.' से खरीदी गई, जिसने बदले में 'आर.' की दूसरी पत्नी से खरीदी थी। एस '-प्रत्यर्थियों के पास संपत्ति का कब्जा था-निचली अदालत ने मुकदमे के पक्ष में फैसला सुनाया

अपीलकर्ताओं की याचिका और उन्हें प्रत्यर्थियों से कब्जा वसूल करने के लिए हकदार संपत्तियों का मालिक घोषित किया-हालाँकि, पहली अपील में, अपीलीय न्यायालय ने अन्य बातों के साथ पाया कि प्रत्यर्थियों के कब्जे में थे और चूंकि संपत्तियों को 12 वर्षों के भीतर बरामद नहीं किया गया था, इस प्रकार मुकदमे को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था-उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले की पुष्टि की-अपील पर, कहाः 1938 में, 'एस' का निधन हो गया-यहां तक कि इस आधार पर आगे बढ़ते हुए कि 'आर' की पोती 'जे. के.' एक प्रतिवर्ती थी, 1938 में 'आर' की विधवा 'एस' की मृत्यु के बाद, उसकी प्रत्याशित संपत्ति उसमें निहित हो गई-हालांकि यह सच है कि यह प्रतिवर्ती के लिए खुला था कि वह प्रतिवर्ती की उपेक्षा करे। विधवा द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख, जो उस पर बाध्यकारी नहीं है, जहाँ तक

अधिकार की वसूली के लिए मुकदमा, कानून ने स्पष्ट रूप से 12 साल की अवधि के लिए प्रावधान किया और सीमा की अवधि 1938 में सीमित मालिक, अर्थात् विधवा की मृत्यु के साथ शुरू हुई-समय 1938 में विधवा के निधन के साथ शुरू हुआ-सीमा की अवधि 12 साल थी, यह 1950 में समाप्त हो गई-सीमा अधिनियम, 1908 (कला द्वारा) के तहत निर्धारित सीमा की अवधि समाप्त होने के साथ। 140 और 141), कथित प्रत्यावर्तक 'जे. के.' का अधिकार

382 एल. आर. एस. द्वारा गोपलकृष्ण (डी)। & ओआरएस। वी. एल. आर. एस. द्वारा अरयानागौड़ा (मृत)। & ओआरएस।

यह भी समाप्त हो गया-इस प्रकार, जब उन्होंने वर्ष 1955 में अपीलार्थियों के पक्ष में बिक्री को निष्पादित किया, तो वह कोई अधिकार नहीं बता सकती थीं-ऐसी परिस्थितियों में, अपील में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था।

उच्च न्यायालय के हिंदू कानून-मद्रास स्कूल ऑफ मिताक्षर लॉ-लिमिटेशन एक्ट, 1963 का निर्णय। 31 .

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

संपत्ति की आवश्यकता या लाभ। मैसूर हिंदू कानून के अनुसार महिला अधिकार अधिनियम, 1933 विधवा की संपत्ति स्त्रीधन बन गई, जो धारा 11 के आधार पर उसे पूर्ण अधिकार प्रदान करती है।

करेंगे। राज्य अधिनियम 01.01.1934 पर लागू हुआ। जब 1907 में 'आर' की मृत्यु पर उत्तराधिकार खोला गया, उनके परिवार में उनकी विधवा 'एस' और उनकी बेटी 'वी' दोनों थीं। इसलिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि 'एस' को राज्य अधिनियम की धारा 11 के तहत पूर्ण अधिकार नहीं मिलेगा। जब इस मामले में 'आर' की संपत्ति के लिए उत्तराधिकार खोला गया, वास्तव में, उस समय राज्य अधिनियम लागू नहीं था। 'एस' को जो संपत्ति विरासत में मिली थी, वह एक विधवा की थी। इसलिए, चाहे वह हिंदू कानून के दृष्टिकोण से हो जो इससे पहले लागू होता है।

राज्य अधिनियम या राज्य अधिनियम, 'एस' के प्रावधानों ने पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं किए। इस प्रकार, उसके पास जो अधिकार था, वह हिंदू कानून के तहत हिंदू विधवा का अधिकार था। [पैरा 23] [397-एफ-एच;

398 - ए-बी]

2. इसके अलावा, जब तक 'आर' की विधवा 'एस' जीवित थी, तब तक किसी भी प्रत्यावर्तक का कोई निहित स्वार्थ नहीं था। 'आर' ('वी') की बेटी का उनकी पहली पत्नी के माध्यम से वर्ष 1910 में निधन हो गया। उस समय 'आर' की विधवा 'एस' जीवित थी। इसलिए, उसे ('वी') संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। एस 'की मृत्यु केवल वर्ष 1938 में हुई। कब

उत्तरदाताओं ने कहा कि एक बेटी की बेटी को पहचाना नहीं गया था उत्तराधिकारी के रूप में। जब विधवा की मृत्यु पर उत्तराधिकार खोला गया, इस मामले में, वर्ष 1938 में 'एस', यदि 'जे. के.' को माना जा सकता है।

अंतिम पूर्ण मालिक की पोती होने के नाते,

तब संपत्ति 'जे. के.' में निहित होगी। [पैरा 23] [398-बी-डी] [2019] 6 एस. सी. आर.

3. अपीलार्थियों के लिए दो बाधाएँ होंगीः - सबसे पहले, यह माना जाना चाहिए कि 'जे. के.' 'आर' की पोती होने के नाते 'आर' की विधवा 'एस' की मृत्यु पर एक उलटफेर थी। दूसरा, यहाँ तक कि एक पल के लिए यह मानते हुए कि 'जेके' था

प्रत्यावर्तक चाहे वह 'एस' की मृत्यु के 12 वर्षों के भीतर कब्जे की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्यकारी थी। [पैरा 24] [398-ई] 4. जबकि यह पीछे हटने वालों के लिए खुला था कि वे एक हिंदू विधवा द्वारा किए गए अलगाव को नजरअंदाज करें और सीमा की अवधि हिंदू विधवा द्वारा किए गए हस्तांतरण पर नहीं चलने लगेगी, निस्संदेह, कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा दायर करने की सीमा की अवधि विधवा की मृत्यु के बाद शुरू होगी। [पैरा 26] [401-ई-एफ]

5. 'आर' की विधवा 'एस' ने वर्ष 1913 में अपने भाई 'एस. आर.' के पक्ष में संपत्ति को अलग कर दिया था। निस्सन्देह, यह था

प्रत्यावर्तक के लिए इस आधार पर आगे बढ़ने के लिए खुला है कि इस तरह का अलगाव उसे बांधता नहीं है। [पैरा 27] [401-एफ-जी]

6. इसके बाद 1938 में 'एस' का निधन हो गया। यहाँ तक कि आगे भी

इस आधार पर कि 'आर' की पोती 'जे. के.' एक प्रत्यावर्तक थी, 1938 में 'आर' विधवा 'एस' की मृत्यु के बाद उसकी प्रत्याशित संपत्ति उसमें निहित हो गई। हालांकि यह सच है कि यह प्रत्यावर्तक के लिए खुला था कि वह द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख को नजरअंदाज करे जहां तक अधिकार की वसूली के लिए मुकदमा है, कानून ने स्पष्ट रूप से 12 साल की अवधि के लिए विधवा का प्रावधान किया है, जो उस पर बाध्यकारी नहीं है और

सीमा की अवधि 1938 में सीमित मालिक, अर्थात् विधवा की मृत्यु के साथ शुरू हुई। 1938 में विधवा के निधन के साथ समय बीतने लगा। सीमा की अवधि 12 वर्ष होने के कारण, यह 1950 में समाप्त हो गई। सीमा अधिनियम, 1908 (अनुच्छेद 140 और 141 द्वारा) के तहत निर्धारित सीमा की अवधि समाप्त होने के साथ, कथित प्रत्यावर्तक 'जे. के.' का अधिकार भी समाप्त हो गया। इस प्रकार, जब उन्होंने वर्ष 1955 में अपीलार्थियों के पक्ष में बिक्री को निष्पादित किया, तो वह बता नहीं सकती थीं कोई भी अधिकार। इसके अलावा, एक पल के लिए भी, इस आधार पर कार्यवाही की जाएगी कि सीमा की अवधि 1955 से 12 साल से शुरू होगी जब 'जे. के.' द्वारा अपीलार्थियों के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था, वह अवधि भी 1967 में समाप्त हो गई थी। ऐसी परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। [पैरा 28] [401-जी-एच; 402-ए-सी; एफ] एलआरएस द्वारा गोपालकृष्णा (डी)।

& ओआरएस। वी. एल. आर. एस. द्वारा अरयानागौड़ा (मृत)। & ओआरएस।

जैसरी साहू बनाम। राजदेवन दुबे और अन्य। ए. आई. आर. 1962 एससी

83 [1962] एससीआर 553; गोगुला गुरुमूर्ति और अन्य। वी. कुरीमेती अयप्पा (1975) 4 एससीसी 458 [1974] 3 एससीआर

595 पर भरोसा किया।

कालीपद चक्रवर्ती और अन्र। वी. पलानी बाला देवी और

ओआरएस। ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 125 [1953] एस. सी. आर. 503

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1962] एससीआर 553

उस पर भरोसा करें

पै

रा 20

[1974] 3 एससीआर 595

उस पर भरोसा करें

पै

रा 21

[1953] एससीआर 503

संदर्भित किया गया है

पै

रा 26

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1332

2008 का

उच्च न्यायालय के 28.11.2005 दिनांकित निर्णय और आदेश से

बैंगलोर में कर्नाटक का आर. एस. ए. सं. 870/1996 सी/डब्ल्यू. आर. एस. ए. सं. 871/1996।

त्रिदीप पेस, एन. के. वर्मा, प्रणव जैन, सुश्री सान्या कुमार,

सुश्री अंजना चंद्रशेखर एड. अपीलार्थियों के लिए।

एम. गिरीश कुमार, आनंद श्रीवास्तव, विजय कुमार, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाताओं।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के. एम. जोसेफ, जे.

1. विशेष अनुमति द्वारा दायर यह अपील फैसले के खिलाफ निर्देशित है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा नियमित दूसरी अपील संख्या में पारित दिनांक 28.11.2005। 870/1996 और 871/1996। उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले से अपीलों को खारिज कर दिया और प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले की पुष्टि की जिसने निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को उलट दिया था। ट्रायल कोर्ट ने अपीलार्थियों द्वारा दायर किए गए मुकदमों [ओ. एस. नंबर 68/1985 और 21/1986 (ओ. एस. नंबर 393/75)] का फैसला सुनाया।

2. अपीलार्थियों का मामला इस प्रकार हैः एक रमन्ना उन संपत्तियों का मालिक था जो हैं

शिकायत के लिए निर्धारित। 1907 में उनका निधन हो गया। उन्होंने [2019] 6 एस. सी. आर. से शादी की थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जनकम्मा (पहली पत्नी) जो उनसे पहले मर गई थी। उनकी दूसरी पत्नी सीथम्मा का वर्ष 1938 में निधन हो गया। अपनी पहली पत्नी के माध्यम से (जनकम्मा), उनकी एक बेटी थी जिसका नाम वेंकम्मा था। वेंकम्मा का 1910 में निधन हो गया। वेंकम्मा की एक बेटी थी जिसका नाम जनकम्मा था। हमारे समक्ष अपीलकर्ताओं ने वर्ष 1955 में जनकम्मा द्वारा निष्पादित बिक्री विलेखों के आधार पर संपत्तियों पर अधिकार का दावा किया।

जनकम्मा द्वारा निष्पादित बिक्री के बाद, पहले वादी के पिता और दूसरे वादी ने दावा किया कि वे मुकदमे की संपत्तियों के कब्जे में थे। प्रत्यर्थियों ने मुकदमे दायर किए (ओ. एस. सं. वाले। 211 और 1955 का 323) उनके अधिकार और निषेधाज्ञा की घोषणा के लिए। उक्त वाद का फैसला निचली अदालत ने दिया था। उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील में निचली अदालत के आदेश को दरकिनार कर दिया और पहले वादी के पिता और दूसरे वादी के पक्ष में जनकम्मा की बिक्री की पुष्टि की और कहा कि संपत्तियों के स्वामित्व पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। यह उनका मामला है कि चूंकि वेंकम्मा रमन्ना से बच गई थी, इसलिए जंकम्मा संपत्तियों की पूर्ण मालिक बन गई और उसके माध्यम से बिक्री विलेख के तहत, वादी ने पूर्ण स्वामित्व का दावा किया, और स्वामित्व की घोषणा, संपत्ति की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया।

कब्ज़ा और बहुत से लाभ।

3. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों ने इन आरोपों का खंडन किया कि रमन्ना की एक बेटी थी जिसका नाम वेंकम्मा था और वेंकम्मा की एक बेटी थी। बेटी का नाम जनकम्मा है। जनकम्मा द्वारा स्वामित्व से इनकार कर दिया गया था। सीथम्मा ने संपत्ति अपने भाई श्रीनिवास राव को बेच दी थी।

यह उत्तरदाताओं (प्रतिवादियों) का अगला मामला है कि उन्होंने श्रीनिवास राव से दिनांकित पंजीकृत बिक्री विलेख के तहत संपत्ति खरीदी थी

13.09.1954 और तब से वे कब्जे में हैं। उन्होंने प्रतिकूल कब्जे का भी दावा किया। वे पिछली कार्यवाही में उच्च न्यायालय तक कब्जे में पाए गए हैं।

बेटियाँ जिनका नाम पटम्मा और जनकम्मा है। पटम्मा की मृत्यु हो गई और केवल जनकम्मा ही बच गई। ट्रायल कोर्ट ने आगे पूछताछ शुरू की क्या जनकम्मा ने अपने दादा की संपत्तियों में कोई अधिकार अर्जित किया था जो वादी के लिए अलग किया गया था। न्यायालय ने प्रत्यर्थियों द्वारा शुरू की गई पूर्व मुकदमेबाजी में उच्च न्यायालय के निम्नलिखित निष्कर्षों का उल्लेख किया:

उसके पति से सूट की संपत्ति हासिल करना एक विचारणीय मामला है। में प्रवेश करें।

अलाक्रिष्णा

((घ) एल. आर. एस. द्वारा। & ओआरएस। वी. अरयानागौड़ा

(मृत) एलआरएस द्वारा। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

इसके अलावा, इस पहलू पर पेज-16 पर माननीय हाई टिन एस. ए. नंबर 801/60 द्वारा भी विचार किया गया है। उक्त निर्णय में यह देखा गया हैः

" अब यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालांकि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि रमन्ना ने अपने पीछे अपनी पत्नी सीथम्मा को छोड़ दिया, जिसकी मृत्यु हो गई थी।

वर्ष 1938 में इस मुकदमे में एक गंभीर विवाद हुआ था। इस सवाल के संबंध में कि क्या रमन्ना की बेटी थी

जनकम्मा। एक सवाल जो उससे भी अधिक गंभीर था। जब रामन्ना की मृत्यु हुई तो क्या वेंकम्मा जीवित थी

वर्ष 1907 या वहाँ लगभग। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है।

निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष के संदर्भ में, कि

मैसूर हिंदू कानून महिलाओं के प्रावधानों के तहत सीथम्मा

संपत्ति का अधिकार अधिनियम उनके पति की संपत्तियों का पूर्ण स्वामी बन गया। सेक से यह स्पष्ट है। 10 (2) (छ) अधिनियम कि वह इन संपत्तियों की पूर्ण स्वामी बन सकती है, केवल तभी जब रमन्ना जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने पीछे कोई बेटी या बेटी का बेटा नहीं छोड़ा।

अगर वेंकम्मा रमन्ना की बेटी होती और वह जीवित होती।

जब रमन्ना की मृत्यु हो जाती है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सेक। 10 (2) (जी) का

अधिनियम कोई अनुप्रयोग नहीं है और सीथम्मा के पास केवल एक विधवा थी

संपत्ति और संपत्तियां उनकी श्रीधन नहीं बन सकीं।

संपत्तियाँ। यह प्रदर्शित करने के लिए था कि उन्होंने किया

इस तरह से सीताम्मा के श्रीधरन गुण नहीं बन जाते हैं कि प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि रमन्ना ने अपने पीछे अपनी बेटी वेंकम्मा को छोड़ दिया और वेंकम्मा का एक बच्चा जंकम्मा था, जो प्रतिवादियों को उनके द्वारा खरीदी गई संपत्तियों से अवगत करा सकता था।

उन्हें। दोनों अदालतों ने पाया है कि वेंकम्मा

रमन्ना की बेटी और वह खोज एक खोज है

तथ्य का सवाल अबाधित रहा है। उनके पास आगे पता चला कि प्रतिवादी संख्या 8, वेंकम्मा की बेटी, जनकम्मा है

और यह निष्कर्ष उसी कारण से समान रूप से अनुपलब्ध है।

18. इस प्रश्न का उत्तर देते समय सं। 1 और 2, न केवल मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि वेंकम्मा उससे आगे बच गई और वह थी

रमन्ना की बेटी और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था

जनकम्मा लेकिन उन्हीं पक्षों के बीच पहले की कार्यवाही है

इस तथ्य को किसी भी संदेह की छाया से परे स्थापित किया। कब वेंकम्मा अपने पिता से बच गईं, जिनकी वर्ष 1907 में मृत्यु हो गई, फिर स्वर्गीय रमन्ना की दूसरी पत्नी सीथम्मा ने संपत्तियों की पूछताछ की।

उसका पति वहाँ बिल्कुल नहीं हो सकता था। क्योंकि जैसा कि हिंदू कानून [2019] 6 एस. सी. आर. की धारा 10 (2) (जी) के तहत पहले ही कहा जा चुका है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रमन्ना अपने पीछे अपनी बेटी वेंकम्मा को छोड़ गए थे। उक्त वेंकम्मा की मृत्यु वर्ष 1910 में हुई थी। बेटी को पीछे छोड़ते हुए जनकम्मा के नाम से। इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 10 (2) (जी) के तहत, सीथम्मा के पास केवल एक विधवा की संपत्ति थी, लेकिन उसकी संपत्तियां थीं।

पति इस तरह से उनकी श्रीधन संपत्तियों का निर्माण नहीं कर सकते थे

उसके भाई श्रीनिवास के पक्ष में उसके द्वारा किया गया कोई अलगाव

राव सभी अवैध थे।

5. जब वेंकम्मा अपने पिता से बच गई तो सीथम्मा (रमन्ना की दूसरी पत्नी) अपने पति की संपत्ति हासिल नहीं कर सकी। मैसूर हिंदू कानून महिला अधिकार अधिनियम, 1933 (संक्षेप में 'राज्य अधिनियम') की धारा 10 (2) (जी) का संदर्भ दिया गया था। यह पता चलने पर कि रमन्ना अपनी बेटी-वेंकम्मा को पीछे छोड़ गई थी, जिसकी मृत्यु हो गई थी।

सीताम्मा के पास केवल विधवा की संपत्ति थी जो उसकी स्त्रीधन संपत्तियों का निर्माण नहीं कर सकती थी और इसलिए उसके द्वारा उसके पक्ष में कोई अलगाव किया गया था। भाई-श्रीनिवास राव अवैध था। सीताम्मा को विधवा की संपत्ति के अलावा अपने पति की संपत्तियों में कोई निहित स्वार्थ नहीं पाया गया। सीथम्मा ने स्वयं अपने पति रमन्ना की संपत्तियों में कोई बिक्री योग्य हिस्सेदारी हासिल नहीं की थी। इससे पहले की दूसरी अपील में यह देखा गया था कि श्रीनिवास राव द्वारा प्रत्यर्थियों के पक्ष में की गई बिक्री को कायम नहीं रखा जा सकता था और तदनुसार बिक्री को केवल अपीलार्थियों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए डिक्री की पुष्टि करते हुए अलग रखा गया था। जनकम्मा द्वारा संपत्तियों की बिक्री को पिछली कार्यवाही में बरकरार रखा गया था। इस आधार पर, सीथम्मा द्वारा अपने भाई के पक्ष में संपत्तियों की बिक्री को वादी को मालिक घोषित करने का अवैध अधिकार पाया गया।

6. उत्तरदाताओं का तर्क था कि वे थे

कब्जा और उस प्रभाव के लिए राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियां भी थीं। यह पाया गया कि राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियां उत्तरदाताओं के मामले को आगे नहीं बढ़ाती हैं। निचली अदालत ने इस सवाल पर विचार करना शुरू किया कि क्या प्रतिवादियों का कब्जा प्रतिकूल पाया जा सकता है और अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि प्रतिवादियों ने ऐसा करने में बुरी तरह विफल रहे हैं।

प्रतिकूल अधिकार स्थापित करें। तदनुसार सीमा पर आधारित तर्क को खारिज कर दिया गया। तदनुसार, इन निष्कर्षों पर, अपीलार्थियों को अनुसूचित संपत्तियों के मालिक घोषित करते हुए मुक़दमे का फैसला सुनाया गया।

((घ) एल. आर. एस. द्वारा। & ओआरएस। वी. अरयानागौड़ा

(मृत) एलआरएस द्वारा। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

और वाद संपत्तियों के कब्जे की वसूली करने का हकदार है और उत्तरदाताओं से बहुत अधिक लाभ भी प्राप्त करने का हकदार है।

7. पहली अपील में, अपीलीय न्यायालय ने अन्य बातों के साथ पाया कि प्रत्यर्थियों के कब्जे में थे और क्या संपत्तियों को बरामद नहीं किया गया था

12 वर्षों के भीतर, [ए. आई. आर. 1972 मैसूर 22] में निर्णय के अनुसार वसूली का अधिकार समाप्त हो जाता है।

हालांकि उच्च न्यायालय ने मुकदमे के पहले दौर में कहा था कि इस सवाल से संबंधित कि क्या वेंकम्मा रमन्ना से बच गई या नहीं।

उसकी मृत्यु से पहले निर्णय लिया जाना है, अपीलकर्ताओं को तुरंत अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 12 साल से अधिक की देरी के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया था और वह भी बिना कोई उचित जानकारी दिए। देरी के लिए स्पष्टीकरण।

यह पाया गया कि अपीलार्थियों का वसूली का अधिकार

16.04.1955 पर अर्जित 16.04.1955 पर जनकम्मा से बिक्री द्वारा स्वामित्व के उनके अधिग्रहण के आधार पर कब्जा। 16.09.1963 पर दी गई पिछली दूसरी अपील में उच्च न्यायालय के फैसले ने कार्रवाई के किसी भी कारण को जन्म नहीं दिया। तदनुसार, अपीलों को अनुमति दी गई और मुकदमों को खारिज कर दिया गया।

उच्च न्यायालय में कार्यवाही

8. उच्च न्यायालय ने आर. एस. ए. संख्या 870/96 और आर. एस. ए. संख्या 871/96 में कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए:

आर. एस. ए. सं. 870/96

i) क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष कि वाद समय द्वारा वर्जित है, धारा 65 के प्रावधानों पर विचार किए बिना है।

1963 के सीमा अधिनियम का?

(ii) क्या यह निष्कर्ष कि उत्तरदाताओं ने प्रतिकूल कब्जे से अपने अधिकार को पूरा किया है, उचित है जब उन्होंने तर्क दिया है कि वे पंजीकृत संपत्ति के आधार पर संपत्ति के मालिक हैं।

बिक्री विलेख?

आर. एस. ए. सं. 871/96

(i) क्या निचली अपीलीय अदालत ने यह अभिनिर्धारित करना उचित ठहराया था कि मुकदमा सीमितता से वर्जित था?

(ii) क्या निचली अपीलकर्ता अदालत ने यह अभिनिर्धारित करना उचित ठहराया था कि प्रत्यर्थियों ने प्रतिकूल कब्जे से अधिकार प्राप्त किया था?

19] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. उच्च न्यायालय पक्षों के संबंधों का उल्लेख करने के बाद निम्नलिखित निष्कर्षों पर आया। यह अन्य बातों के साथ-साथ पाया गया कि जनकम्मा के जीवन काल के दौरान यद्यपि संपत्तियों को सीतम्मा ने अपने भाई श्रीनिवास राव के पक्ष में बेच दिया था, लेकिन उन्होंने इसे चुनौती नहीं दी थी, इसलिए प्रतिवादियों द्वारा बिक्री के आधार पर संपत्तियों पर कब्जा कर लिया गया था। श्रीनिवास राव के पक्ष में और श्रीनिवास राव द्वारा उत्तरदाताओं के पक्ष में किए गए विलेख को चुनौती नहीं दी गई और यह सीमा का प्रारंभिक बिंदु होगा।

विधवा (सीथम्मा) बेटी के अधिकार से बेहतर है और जनकम्मा का पद उसके बाद ही आता है। जनकम्मा-पोती उपरोक्त प्रावधान की श्रेणी (ix) में है। 12. कानून की स्थिति ऐसी होने के कारण, रमन्ना की पोती जनकम्मा द्वारा अपीलार्थियों के पक्ष में की गई बिक्री, यदि कोई हो, तो अधिक महत्वहीन है, जैसा कि उल्लेख किया गया है, क्योंकि जनकम्मा ने सीतम्मा द्वारा श्रीनिवास राव के पक्ष में की गई पिछली बिक्री को चुनौती नहीं दी थी। सीतम्मा की रुचि हालांकि सीमित थी, लेकिन रमन्ना के विद्रोहियों ने 50 वर्षों तक इस अलगाव को चुनौती नहीं दी थी। सीथम्मा के अधिकार को चुनौती नहीं दी गई और किया गया अलगाव भी चुनौती नहीं दिया गया।

जहाँ तक सीमा से संबंधित बिंदु का संबंध है, यह पाया गया कि सबसे पहले जनकम्मा को सीथम्मा द्वारा अलगाव को चुनौती देनी पड़ी, जो

यह वर्ष 1913 का था। अपवर्जन में कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं दिया गया था पहले की दूसरी अपीलों (801/1960 और 819/1960) में उच्च न्यायालय के अवलोकन द्वारा सीमा अधिनियम द्वारा बनाई गई सीमा। चूँकि सीतम्मा के अधिकार को जनकम्मा द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए मुकदमों को समय के साथ अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाता है।

इसके बाद, प्रतिकूल कब्जे के संबंध में, न्यायालय ने यही कहा

आयोजितः

गोपालकृष्णा

((घ) एल. आर. एस. द्वारा। & ओआरएस। वी. अरयानागौड़ा

(मृत) एलआरएस द्वारा। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

इस न्यायालय द्वारा दूसरी अपीलों 801/60 और 819/60 में घोषणा को अस्वीकार कर दिया गया है, वाद क्रमशः वर्ष 1985 और 86 में वादी द्वारा देर से दायर किए गए हैं और इस तरह श्रीनिवास राव और इसके बाद, प्रतिवादियों ने प्रतिकूल कब्जे द्वारा वाद संपत्तियों का अधिकार और अधिकार प्राप्त कर लिया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब अनिवार्य रूप से इन प्रतिवादियों ने न केवल कब्जे के लिए, बल्कि बिक्री विलेख के आधार पर भी अपना अधिकार स्थापित किया है, तो वह निष्कर्ष होगा

उचित नहीं है "।

13. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने राज्य अधिनियम की धारा 4 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया और फिर उन्होंने अधिनियम की धारा 10 से समर्थन मांगा। अधिनियम की धारा 10 (2) (जी) इस प्रकार हैः

(छ) एक महिला द्वारा दूसरी महिला से विरासत में ली गई संपत्ति और एक महिला द्वारा अपने पति से विरासत में ली गई संपत्ति। या बेटा, या खून से जुड़े पुरुष रिश्तेदार से, सिवाय इसके कि जब संपत्ति विरासत में मिलने के समय प्रस्तावक की बेटी या बेटी का बेटा जीवित हो।

14. अपीलार्थी का तर्क है कि उच्च न्यायालय ने यह विचार रखने में स्पष्ट त्रुटि की है कि सीताम्मा-विधवा को मिलेगा

एक पूर्ण अधिकार। यह उनका तर्क है कि स्त्रीधन की परिभाषा के अनुसार, जो निस्संदेह उसका पूर्ण अधिकार है, अधिनियम की धारा 10 (2) (जी) में एक अपवाद है। जहाँ तक विचाराधीन संपत्तियाँ सीताम्मा को उनके पति-रमन्ना की मृत्यु पर विरासत में मिली थीं और उस समय बेटी वेंकम्मा बहुत जीवित थी, इसलिए सीताम्मा को पूर्ण अधिकार नहीं मिलेगा। इस मामले में, रमन्ना (वेंकम्मा) की बेटी की मृत्यु केवल 1910 में हुई थी जो कि रमन्ना-1907 की मृत्यु के बाद हुई थी। जब 1907 में रमन्ना की संपत्ति का उत्तराधिकार खोला गया, तो उनकी विधवा सीथम्मा को वह संपत्ति विरासत में मिलेगी जहां अधिकार केवल एक विधवा की संपत्ति तक सीमित है। उनकी मृत्यु पर, संपत्ति उनके दिवंगत पति को वापस कर दी जाएगी -

रमन्ना। 15. यह उनकी शिकायत है कि उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 10 का उल्लेख नहीं करके और अपना ध्यान [2019] 6 एस. सी. आर. तक सीमित करके इस महत्वपूर्ण पहलू की अनदेखी की है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य अधिनियम की धारा 4 पर। राज्य अधिनियम की धारा 4 के तहत, विधवा को बेटी और पोती पर प्राथमिकता दी जाती है। जब अपीलार्थी के विद्वान वकील को यह बताया गया कि चूंकि 1907 में रमन्ना की मृत्यु हो गई थी और राज्य अधिनियम अस्तित्व में नहीं था क्योंकि अधिनियम 1933 में पारित किया गया था, तो अपीलार्थी के विद्वान वकील ने एक और तर्क उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि मिताक्षर कानून के तहत, जो लागू था, विधवा केवल एक सीमित संपत्ति की हकदार थी। वह.

यह तर्क दिया जाएगा कि राज्य अधिनियम के पारित होने से पहले भी स्थिति यह थी कि विधवा को पूर्ण संपत्ति नहीं मिली थी।

16. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील का तर्क होगा कि सीथम्मा ने वर्ष 1913 में संपत्ति हस्तांतरित की थी।

सीताम्मा की मृत्यु 1938 में हुई। यदि ऐसा है, तो मुकदमा दायर किया जाना चाहिए था, यदि उस तारीख से 12 साल की अवधि के भीतर जिस दिन प्रत्यावर्तकों में कथित अधिकार निहित किया गया था, अर्थात् की मृत्यु पर

वर्ष 1938 में सीथम्मा। 12 साल की अवधि 1950 में समाप्त हो जाएगी। अपीलार्थी-वादी ने वर्ष में संपत्ति खरीदी।

1955 जनकम्मा से-रमन्ना की पोती। तब भी उनके द्वारा 20 साल से अधिक समय के बाद ही मुकदमा दायर किया गया था। प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा आगे यह तर्क दिया जाता है कि मिताक्षर कानून के तहत

विचाराधीन क्षेत्र में लागू, पोती उत्तराधिकारी नहीं थी। केवल एक पुरुष की निर्वसीयत बेटी ही उसकी मृत्यु के बाद संपत्ति की उत्तराधिकारी हो सकती थी। इसलिए, विधवा को दिया गया सीमित अधिकार भी

सीथम्मा स्वाभाविक रूप से एक पूर्ण अधिकार बन जाएगी।

पूर्ववर्ती दूसरी अपील में निष्कर्ष

17. पूर्ववर्ती दूसरी अपीलों में उत्तरदाताओं द्वारा दायर किए गए मुकदमों से निकले निष्कर्ष इस प्रकार हैं: उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया कि बिक्री विलेख निष्पादित किए गए

श्रीनिवास राव के पक्ष में सीथम्मा वास्तविक थीं। समान रूप से, उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष की पुष्टि की कि इस अपील में प्रतिवादियों के पास उनके द्वारा खरीदी गई संपत्तियों का कब्जा था। जनकम्मा मिली थी।

रमन्ना की पोती बनने के लिए। इसके अलावा, अदालत ने यह सवाल उठाया कि क्या वेंकम्मा रमन्ना की बेटी थी और क्या राज्य अधिनियम की धारा 10 (2) (जी) के संबंध में रमन्ना की मृत्यु के समय वह जीवित थी। यह देखा गया कि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने पाया था कि वेंकम्मा रमन्ना और जंकम्मा की बेटी थी

वेंकम्मा की बेटी थी। हालाँकि, यह देखा गया कि वहाँ गोपलकृष्ण हैं।

((घ) एल. आर. एस. द्वारा। & ओआरएस। वी. अरयानागौड़ा

(मृत) एलआरएस द्वारा। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

इस बारे में कोई दलील नहीं थी कि क्या वेंकम्मा बच गई थी या रमन्ना से पहले मर गई थी।

18. न्यायालय का विचार था कि सभी मामलों में पहला मुद्दा

यह था कि क्या सीथम्मा अपने पति की संपत्तियों की पूर्ण स्वामी बन गई थी और यह भी उतना ही सच था कि जिस प्रक्रिया से वह ऐसी मालिक बन सकती थी, वह उसके जीवित रहने और रमन्ना की मृत्यु के बाद उसकी कोई जीवित संतान न होने से होगी। यह पाया गया कि पक्षों को इस संबंध में सभी सबूत पेश करने का अवसर नहीं मिला और जांच की आवश्यकता थी। यह निष्कर्ष कि सीतम्मा रमन्ना की संपत्तियों की पूर्ण स्वामी बन गई थी, को दरकिनार कर दिया गया। हालाँकि, न्यायालय ने यह पाया कि उपरोक्त निष्कर्ष को दरकिनार करने का यह अर्थ नहीं है कि न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि सीथम्मा पूर्ण स्वामी नहीं बनी थी। कोई राय व्यक्त नहीं की गई क्योंकि यह इस सवाल पर निर्भर था कि क्या वेंकम्मा जीवित थी जब

रमन्ना की मृत्यु हो गई और इस संबंध में सामग्री अपर्याप्त थी।

19. इस आधार पर, उत्तरदाताओं को घोषित करने वाली डिक्री

संपत्ति के मालिकों को अलग कर दिया गया था। प्रतिबंध लगाने वाला आदेश

प्रत्यर्थियों के अधिकार को बाधित करने के लिए अपीलकर्ताओं की भी पुष्टि की गई थी। मुकदमे के पहले दौर में उच्च न्यायालय के फैसले से यह देखा जा सकता है कि प्रत्यर्थियों को कब्जे में पाया गया था। शीर्षक से संबंधित प्रश्न अनिवार्य रूप से तय नहीं किया गया था जैसा कि स्पष्ट है

उच्च न्यायालय ने क्या पाया। अदालत ने इस आधार पर निर्णय लेने के लिए इसे खुला छोड़ दिया कि अगर रमन्ना की बेटी वेंकम्मा-रमन्ना से बच नहीं गई होती तो सीथम्मा पूर्ण मालिक बन जाती।

20. अब हम अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से पहले एक हिंदू विधवा की स्थिति और

राज्य अधिनियम

इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि पक्ष मद्रास द्वारा शासित हैं।

स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। इसके तहत, हर महिला जो उत्तराधिकारी के रूप में सफल हुई, चाहे वह पुरुष हो या महिला, ने एक सीमित संपत्ति ले ली।

संपत्ति

उसे विरासत में मिला। जहां तक विधवा संपत्ति का संबंध है, यह कथन मुल्ला हिंदू कानून, 23 वें संस्करण में पाया जाता है।

" 176. विधवा की संपत्ति-एक विधवा या अन्य सीमित उत्तराधिकारी एक संपत्ति नहीं है। जीवन भर के लिए किरायेदार, लेकिन उसके द्वारा विरासत में मिली संपत्ति का मालिक है, विषय

अलगाव पर कुछ प्रतिबंधों के लिए और इसके हस्तांतरण के अधीन उसकी मृत्यु पर अंतिम पूर्ण मालिक के अगले उत्तराधिकारी पर।

पूरी संपत्ति उस में निहित समय के लिए है, और वह इसका प्रतिनिधित्व करती है

पूरी तरह से। जैसा कि एक प्रिवी काउंसिल मामले में कहा गया है, उसका अधिकार है

संपत्ति के अधिकार की प्रकृति; उसकी स्थिति मालिक की है; उसकी

उस चरित्र में शक्तियाँ, हालांकि सीमित हैं; लेकिन जब तक वह

जीवित होने पर उत्तराधिकार में किसी का कोई निहित स्वार्थ नहीं है। जैसरी साहू बनाम। राजदेवन दुबे और अन्य। [ए. आई. आर 1962 एस. सी 83],

न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह एक अनम्य प्रस्ताव नहीं हो सकता है कि जब भी कोई लाभप्रद बंधक हो, तो विधवा कर सकती है।

संपत्ति को इस आधार पर नष्ट कर दें कि यह प्रतिवर्ती को वंचित कर देगा

ई इसे भुनाने का अधिकार। यह है अदालत का फैसलाः

. इस तरह के प्रस्ताव का समर्थन तभी किया जा सकता है जब विधवा

न्यासी के पद पर है, जिसके लाभ के लिए संपत्ति धारण की गई है

प्रतिवर्ती, उस पर संपत्तियों को संरक्षित करने के लिए एक कर्तव्य के साथ

और उन्हें अक्षत रूप से उनके हवाले कर दें। हालाँकि, यह कानून नहीं है।

जब एक विधवा अपने पति के उत्तराधिकारी के रूप में सफल होती है, तो स्वामित्व कानूनी और लाभकारी दोनों संपत्तियाँ उसमें निहित हैं। वह पूरी तरह से

संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें प्रत्यावर्तकों का हित है

केवल विशिष्ट उत्तराधिकार। विधवा पूर्ण लाभ की हकदार है।

संपत्ति का आनंद लेना और किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होना। यह है।

या संपत्ति के लाभ के लिए, लेकिन उसकी शक्तियों पर यह प्रतिबंध नहीं है एक प्रत्यावर्तकों के लाभ के लिए लगाया गया है लेकिन एक घटना है

धारक जो हिंदू कानून के तहत मान्य नहीं हैः कलेक्टर मसुलिपटम बनाम। कैवली वेंकट 8 मू इंड ऐप 529 (पीसी)। कहाँ,

हालाँकि, स्थानांतरण की आवश्यकता है, प्रतिबंध लगाया गया है

मालिक के रूप में विधवा को यह तय करने का पूरा विवेक मिला है कि कौन सा रूप है अलगाव को मान लेना चाहिए। इस संबंध में उनकी शक्तियाँ इस प्रकार हैं -

मुसामत बाबूई मुंदराज कूनवेरी, 6 मू इंड ऐप 393 (पी. सी.) शिशु की संपत्ति के प्रबंधक या उसके प्रबंधक के

संयुक्त हिंदू परिवार "।

(जोर दिया गया)

अलाक्रिष्णा

((घ) एल. आर. एस. द्वारा। & ओआरएस। वी. अरयानागौड़ा

(मृत) एलआरएस द्वारा। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

21. गोगुला गुरुमूर्ति और ओआरएस में। वी. कुरीमेती अयप्पा (1975)

सी. 458, इस न्यायालय ने एक हिंदू विधवा की स्थिति को दोहराया और हमारे लिए प्रासंगिक होने के नाते यह अभिनिर्धारित किया कि उत्तराधिकार में किसी का कोई निहित हित नहीं है।

एनजी के रूप में विधवा जीवित है।

" एक हिंदू विधवा पूरी तरह से लाभकारी आनंद का हकदार है संपत्ति। जब तक वह जानबूझकर बर्बाद करने की दोषी नहीं है, वह है

किसी के प्रति जवाबदेह नहीं। उसकी संपत्ति जीवन-संपत्ति नहीं है, क्योंकि

न ही यह किसी भी मायने में प्रत्यावर्तकों के लिए विश्वास में रखी गई संपत्ति है। उस पर लगाई गई सीमाओं के भीतर, महिला धारक के पास सबसे अधिक है

जो उसकी मृत्यु के समय सबसे निकटतम प्रत्यावर्तक होगी। यह. इसलिए, एक प्रतिवर्ती के लिए यह तर्क देना असंभव है कि किसी के लिए भी

लापरवाही के कारण संपत्ति को जो नुकसान हो सकता है

विधवा की ओर से उसे क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए

विधवा की अलग संपत्तियाँ। वह केवल पाने का हकदार है विधवा की मृत्यु की तारीख को छोड़ी गई संपत्ति। विधवा

हो सकता है, उसके जीवनकाल के दौरान, आवश्यकता के लिए, उसके सहित

रखरखाव ने पूरी संपत्ति को अलग कर दिया।

(जोर दिया गया)

1933 के राज्य अधिनियम का प्रभाव

राज्य अधिनियम जो कि 1933 का मैसूर अधिनियम है (जैसा कि यह तब था जब यह

पारित) जनवरी, 1934 के पहले दिन लागू हुआ।

खंड 2 इस प्रकार हैः - " 2. (1) यह अधिनियम उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो इसे पारित करने के लिए हैं।

अधिनियम, संबंध में मिताक्षर के कानून के अधीन रहा होगा

एतऽ अधिनियमित प्रावधानसभक।

(2) उपरोक्त को छोड़कर, इसमें निहित कुछ भी नहीं माना जाएगा। हिंदू कानून के किसी भी नियम या घटनाओं को प्रभावित करने के लिए जो नहीं हैं

इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत। इस प्रकार, हिंदू कानून के नियम या घटनाएं इस हद तक कि वे थे

अधिनियम के अनुरूप काम करना जारी रखना था। की धारा (4)

सी. टी. निम्नानुसार प्रदान किया गया है:

19] 6 एस सी आर।

" 4 (1) निर्वसीयत हिंदू पुरुष का उत्तराधिकार, सबसे पहले, प्रस्तावक के परिवार के सदस्यों में निहित होगा। नीचे उल्लिखित, और निम्नलिखित क्रम में:

((ख) विधवा;

((ग) बेटियाँ;

(ix) बेटियों की बेटियाँ;

जहाँ तक धारा 10 का संबंध है, प्रासंगिक भाग इस प्रकार है -

निम्नलिखित है:

-

" 10 (1) " 'स्त्रीधन' का अर्थ है किसी हिंदू महिला से संबंधित प्रत्येक विवरण की संपत्ति, कानून द्वारा उस संपत्ति के अलावा जिसमें वह है या

एक साधन की शर्तों के तहत, केवल एक सीमित संपत्ति।

10 (2) स्त्रिधन में शामिल हैं:

(छ) एक महिला द्वारा दूसरी महिला से विरासत में ली गई संपत्ति और एक महिला द्वारा अपने पति से विरासत में ली गई संपत्ति। या बेटा, या खून से जुड़े पुरुष रिश्तेदार से, सिवाय इसके कि जब प्रस्तावक की बेटी या बेटी का बेटा जीवित हो।

संपत्ति इतनी विरासत में मिली है "।

धारा 11 पर भी ध्यान देना आवश्यक है। धारा 11 इस प्रकार है

निम्नलिखित है:

अल्पमत के दौरान संरक्षकता से संबंधित सामान्य कानून के अधीन रहते हुए और वसीयत द्वारा। (2) अपनी पत्नी के वैध संरक्षक के रूप में कार्य करने के अलावा, पति को अपने जीवन के दौरान अपनी पत्नी के स्त्रीधन के किसी भी हिस्से पर कोई अधिकार या ब्याज नहीं होगा और न ही वह नियंत्रण का हकदार होगा।

उसके संबंध में उसकी किसी भी शक्ति का प्रयोग।

इस प्रकार, स्त्रीधन संपत्ति की स्वामी महिला को उसी के निपटान के साथ-साथ आनंद के मामले में भी पूर्ण शक्तियां प्रदान की गई थीं। द. निपटान वसीयत या अंतर-विवोस हस्तांतरण द्वारा किया जा सकता

है। एकमात्र सीमा यह थी कि संरक्षकता से संबंधित कानून अल्पमत के दौरान काम करता रहेगा। धारा 10 (2) (जी) पर वापस लौटते हुए, एक महिला द्वारा अपने पति से विरासत में मिली संपत्ति को स्त्रीधन की परिभाषा के तहत लाया गया था। यह एक गोपालकृष्णा को प्रदान करके एक विधवा के अधिकारों का स्पष्ट विस्तार था।

((घ) एल. आर. एस. द्वारा। & ओआरएस। वी. अरयानागौड़ा

(मृत) एलआरएस द्वारा। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

अपने पति से विरासत में मिली संपत्ति पर विधवा का पूर्ण अधिकार हिंदू कानून के तहत विधवा की संपत्ति से एक मौलिक विचलन था जो एक सीमित संपत्ति थी और जिसके तहत निपटान का ऐसा कोई पूर्ण अधिकार नहीं था। हालाँकि एक पकड़ थी और यह यही था। यदि पति के परिवार में विधवा और एक बेटी या एक बेटी का बेटा था, तो हिंदू कानून में समझी जाने वाली विधवा की संपत्ति को बिना किसी बाधा के जारी रखना था। यदि जैसा कि उल्लेख किया गया है कि कोई बेटी या पोता पति से बच नहीं पाया है, तो विधवा को धारा 10 (1) के बावजूद पूर्ण अधिकार मिलेगा, जिसमें स्त्रीधन को हिंदू महिला से संबंधित किसी भी विवरण की संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके अलावा उसके पास कानून द्वारा 'केवल एक सीमित संपत्ति' है। इस प्रकार यद्यपि धारा 4 के तहत, विधवा को बेटी और बेटियों की बेटी की वरीयता में विरासत में मिलेगा, अधिकार की प्रकृति निहित है।

धारा 10 और धारा 11 में, जिसके प्रभाव का हमने उल्लेख किया है। 22. अगली बात जो हमें पता लगाना चाहिए वह यह है कि उलटने वाले कौन हैं। प्रत्यावर्तक अंतिम पूर्ण स्वामी के उत्तराधिकारी होते हैं, जो किसी विधवा या अन्य सीमित उत्तराधिकारी की मृत्यु पर ऐसे मालिक की संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के हकदार होंगे, यदि वे तब जीवित हैं (अनुच्छेद 175 के अनुसार)।

हिंदू कानून पर मुल्ला)। प्रत्यावर्तनकर्ताओं के हित की प्रकृति पर भी उसी पैरा के तहत चर्चा की गई है, जो इस प्रकार हैः

(2) प्रतिवर्ती का ब्याज-प्रतिवर्ती का ब्याज एक सीमित उत्तराधिकारी की मृत्यु पर अपेक्षित ब्याज है और यह एक निहित हित नहीं है। यह संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 6 के अर्थ के भीतर उत्तराधिकार का एक अवसर है। इसलिए इसे बेचा नहीं जा सकता, गिरवी नहीं रखा जा सकता या सौंपा नहीं जा सकता और न ही इसे छोड़ा जा सकता है। एक जासूस उत्तराधिकार का हस्तांतरण एक शून्य है, और इसका कानून में कोई प्रभाव नहीं है।

वह केवल संपत्ति की आवश्यकता या लाभ के लिए संपत्ति को अलग कर सकती थी। राज्य अधिनियम द्वारा, विधवा की संपत्ति स्त्रीधन बन गई, जो धारा 11 के आधार पर संपत्ति का निपटान करने के उसके पूर्ण अधिकार को प्रदान करती है। या तो अंतर विवोस हस्तांतरण या वसीयत के माध्यम से। राज्य अधिनियम 01.01.1934 पर लागू हुआ। जब 1907 में रमन्ना की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार शुरू हुआ, तो उनके परिवार में उनकी विधवा सीता और उनकी बेटी वेंकम्मा दोनों थीं। इसलिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सीतामा को राज्य अधिनियम की धारा 11 के तहत पूर्ण अधिकार नहीं मिलेगा।

इस मामले में रमन्ना की संपत्ति के लिए उत्तराधिकार खोला गया, वास्तव में, उस समय राज्य अधिनियम लागू नहीं था। सीता को जो संपत्ति विरासत में मिली थी, वह एक विधवा की थी। इसलिए, चाहे वह राज्य अधिनियम से पहले लागू हिंदू कानून के दृष्टिकोण से हो या राज्य अधिनियम के प्रावधान, सीता ने पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं किए थे। इस प्रकार, उसके पास जो अधिकार था, वह हिंदू कानून के तहत हिंदू विधवा का अधिकार था। इसके अलावा, जब तक रमन्ना की विधवा सीथम्मा जीवित थी, तब तक किसी भी उलटफेर करने वाले का कोई निहित स्वार्थ नहीं था। रमन्ना की बेटी

24. अपीलार्थियों के लिए दो बाधाएँ होंगीः - सबसे पहले, यह माना जाना चाहिए कि जनकम्मा की पोती होने के नाते रमन्ना की विधवा सीथम्मा की मृत्यु के बाद रमन्ना एक विद्रोही था। दूसरा, यहां तक कि एक पल के लिए यह मानते हुए कि जनकम्मा प्रतिवर्ती थी, क्या उसकी मृत्यु के 12 वर्षों के भीतर कब्जे की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू करना उसका दायित्व था।

सीताम्मा।

25. दूसरे प्रश्न को लेते हुए, हम हिंदू कानून पर मुल्ला की निम्नलिखित टिप्पणी पर ध्यान देते हैंः

" 207. कब्ज़ा और सीमा के लिए रिवर्सनर का मुकदमा। _एक विधवा या अन्य सीमित उत्तराधिकारी की मृत्यु पर अचल संपत्ति के कब्जे के लिए संपत्ति के उत्तराधिकारी के हकदार प्रत्यावर्तकों द्वारा एक मुकदमा

किसी विदेशी से उसकी मृत्यु (भारतीय सीमा अधिनियम, 1908, अनुसूची I, अनुच्छेद 141) के 12 वर्षों के भीतर और उस तारीख से छह वर्षों के भीतर चल संपत्ति की वसूली की जानी चाहिए।

अब नए सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 65,109 और 113 देखें,

1963 .

एल. आर. एस. द्वारा अलक्रिश्ना (डी)। & ओआरएस। वी. एल. आर. एस. द्वारा अरयानागौड़ा (मृत)। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

प्रत्यावर्तक बिना मुकदमा किए कब्जे के लिए मुकदमा कर सकता है

अलगाव को अलग कर दिया जाता है। इसका कारण यह है कि वह किसी के हस्तक्षेप के बिना अनधिकृत अलगाव को शून्य मानने का हकदार है। अदालत।

26. प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने कालीपद चक्रवर्ती और अन्र मामले में इस न्यायालय के फैसले पर काफी सी. ई. रखा है। लानी बाला देवी और अन्य। [ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 125] इसमें, यह न्यायालय हिंदू विधवा द्वारा शेबेती अधिकार के हस्तांतरण के साथ और उसी को चुनौती देने वाले पक्षकारों द्वारा मुकदमा दायर करता है। इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

" लेकिन इस बिंदु पर सभी संदेहों को फागो बनाम में प्रिवी काउंसिल के निर्णय से ही शांत कर दिया गया था। उत्सव [(1929) 56 आई. ए. 267] और कानून को अब पूरी तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है, सिवाय इसके कि जहां एक आदेश निष्पक्ष रूप से और उचित रूप से प्राप्त किया गया है और हिंदू महिला उत्तराधिकारी के खिलाफ धोखाधड़ी और मिलीभगत के बिना एक सीमित मालिक के रूप में उसके द्वारा धारण की गई संपत्ति के संबंध में, एक प्रत्यावर्तक द्वारा ऐसी संपत्ति की वसूली के लिए मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण या तो महिला उत्तराधिकारी या एक अतिचारक जो ऐसी संपत्ति की वसूली करता है। केवल महिला उत्तराधिकारी की मृत्यु पर उसके उपार्जित धन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जाता है। यह सिद्धांत, जिसे 1871 से इस देश में सीमा कानून में मान्यता दी गई है, हमें हिंदू कानून के स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप प्रतीत होता है। प्रतिवर्ती उत्तराधिकारियों का अधिकार जासूस के उत्तराधिकार की प्रकृति में है, और चूंकि प्रतिवर्ती विधवा के माध्यम से या उससे अपनी उपाधि का पता नहीं लगाते हैं, इसलिए यदि वे अपने अधिकारों को खो देते हैं तो यह स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण होगा।

सिर्फ इसलिए कि विधवा को संपत्ति का नुकसान उठाना पड़ा है

एक अजनबी के प्रतिकूल कब्जे से नष्ट। लागू किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत के संबंध में श्री घोष द्वारा उठाया गया तर्क

ऐसे मामलों में, इसलिए, ध्वनि नहीं माना जा सकता है।

आम तौर पर, विधवा की संपत्ति पर दो सीमाएँ होती हैं। पहली बात, उसके अलगाव के अधिकार प्रतिबंधित हैं और दूसरी बात, उसकी मृत्यु के बाद संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों को नहीं जाती है। लेकिन अंतिम पुरुष मालिक के उत्तराधिकारियों को।

आकाशवाणी में दिए गए फैसले में इस दृष्टिकोण का पालन किया गया है।

एससी 204। उस समय प्रासंगिक सीमा का कानून एन सीमा अधिनियम, 1908 था। अनुच्छेद 140 और 141 पर ध्यान देना महत्वपूर्ण हैः

19] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सूट का विवरण

अवधि

से समय का

जो

सीमा

अवधि शुरू होती

है

140. एक शेष व्यक्ति द्वारा, ए

बारह वर्ष

जब उसकी संपत्ति

गिरती है

कब्जे में।

प्रतिवर्ती (ए के अलावा) मकान मालिक) या एक योजनाकार, के लिए

अचल संपत्ति का स्वामित्व संपत्ति।

141. बारह साल के एक हिंदू के सूट की तरह

जब महिला

या मुसलमान हकदार हैं

मर जाता है।

के अधिकार में

अचल संपत्ति पर

किसी हिंदू की मृत्यु या

मुसलमान महिला।

यह वैधानिक ढांचा है जिसने इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का आधार बनाया है जिसे हमने देखा है।

अधिनियम की धारा 28 पर ध्यान देना अगला प्रासंगिक हैः " 28. संपत्ति के अधिकार का उन्मूलन। - किसी भी संपत्ति के कब्जे के लिए मुकदमा दायर करने के लिए किसी भी व्यक्ति तक सीमित अवधि के निर्धारण पर, ऐसी संपत्ति पर उसका अधिकार होगा -

बुझा दिया "।

दूसरे शब्दों में, जबकि यह पीछे हटने वालों के लिए खुला था कि वे एक हिंदू विधवा द्वारा किए गए अलगाव को नजरअंदाज करें और सीमा की अवधि नहीं होगी

हिंदू विधवा द्वारा किए गए हस्तांतरण पर दौड़ना शुरू करना, निस्संदेह, कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा दायर करने की सीमा की अवधि विधवा की मृत्यु के बाद शुरू होगी।

27. रमन्ना की विधवा सीथम्मा ने वर्ष 1913 में अपने भाई श्रीनिवास राव के पक्ष में संपत्ति को अलग कर दिया था।

निस्संदेह, यह वापसी करने वाले के लिए इस आधार पर आगे बढ़ने के लिए खुला था कि इस तरह का अलगाव उसे बांध न सके।

28. इसके बाद, 1938 में, सीथम्मा का निधन हो गया। यहाँ तक कि आगे भी

इस आधार पर कि रमन्ना की पोती जनकम्मा एक परिवर्त्तक थी, 1938 में रमन्ना की विधवा सीथम्मा की मृत्यु के बाद, उसकी प्रत्याशित संपत्ति उसके पास निहित हो गई। हालांकि यह सच है कि यह वापसी करने वाले के लिए खुला था कि वह विधवा द्वारा निष्पादित बिक्री विलेख को नजरअंदाज करे, जो उस पर बाध्यकारी नहीं है, जहां तक कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा है, गोपालकृष्णा

((घ) एल. आर. एस. द्वारा। & ओआरएस। वी. अरयानागौड़ा

(मृत) एलआरएस द्वारा। & ओआरएस। [के. एम. जोसेफ, जे.]

कानून ने स्पष्ट रूप से 12 साल की अवधि के लिए प्रावधान किया और सीमा की अवधि 1938 में सीमित मालिक, अर्थात् विधवा की मृत्यु के साथ शुरू हुई। 1938 में विधवा के निधन के साथ समय बीतने लगा। सीमा की अवधि 12 वर्ष होने के कारण, यह 1950 में समाप्त हो गई। सीमा अधिनियम, 1908 (अनुच्छेद 140 और 141 द्वारा) के तहत निर्धारित सीमा की अवधि समाप्त होने के साथ, कथित प्रत्यावर्तक जनकम्मा का अधिकार भी समाप्त हो गया। इस प्रकार, जब उन्होंने वर्ष 1955 में अपीलार्थियों के पक्ष में बिक्री को निष्पादित किया, तो वह कोई अधिकार व्यक्त नहीं कर सकती थीं। इसके अलावा, एक पल के लिए भी, इस आधार पर आगे बढ़ना कि

सीमा की अवधि 1955 से 12 वर्षों से शुरू होगी जब जनकम्मा द्वारा अपीलार्थियों के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था, वह अवधि भी 1967 में समाप्त हो गई थी। मान लीजिए, मुकदमे 1967 के कई साल बाद भी दायर किए गए थे। सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 31 इस प्रकार हैः

" 31 वर्जित या लंबित मुकदमों आदि के बारे में प्रावधानः - इसमें कुछ नहीं है।

अधिनियम करेगा,

((क) भारतीय सीमा अधिनियम, 1908 (1908 का 9) द्वारा विहित सीमा की अवधि इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले समाप्त हो जाने वाले किसी भी वाद, अपील या आवेदन को स्थापित करने, प्राथमिकता देने या करने में सक्षम बनाएगा; या

((ख) किसी भी वाद, अपील या आवेदन को प्रभावित करता है जो इस तरह के प्रारंभ पर स्थापित, वरीयता प्राप्त या किया गया है और लंबित है।

स्पष्ट रूप से सीमा अधिनियम, 1963 के लागू होने से बहुत पहले, मुकदमों को लागू करने के लिए सीमा की अवधि समाप्त हो गई थी। यह अधिकार पर ही इस तरह का मुकदमा दायर नहीं करने के प्रभाव के अलावा है।

29. ऐसी परिस्थितियों में, हम उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। अपीलों को खारिज कर दिया जाएगा

लागत के बारे में आदेश दें।

अंकित ज्ञान

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।